किरायानामा

यह पट्टा दिनांक.................माह...........सन्..............को श्री .... आत्मज ....आयु.........वर्ष निवासी......................................(जिसे आगे ''मकान मालिक'' कहा गया है) एवं जो इस विलेख का प्रथम पक्षकार है तथा .... आत्मज .... आयु.........वर्ष निवासी.............................. (जिसे आगे ''किरायेदार'' कहा गया है) एवं जो इस विलेख का द्वितीय पक्षकार है के बीच .... (ग्राम/शहर का नाम) में निष्पादित किया गया ।

चूंकि उक्त मकान मालिक का .... नगर में.......................... रोड पर अवस्थित एक मकान है जिसमें .... कमरे, रसोई एवं लेट्रिन, बाथरूम है (जिसका विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है) और उक्त किरायेदार .... वर्ष के लिए रू......... प्रतिमाह में किराये पर लेने का इच्छुक है, एवं जिसे देने के लिए मकान मालिक सहमत है।

अनुसूची.

(संपत्ति का विस्तृत विवरण)

अतएव अब यह विलेख साक्ष्यांकित करता है :–

(1) कि उक्त मकान .... वर्ष के लिए किरायेदार के अधिपत्य में रहेगा वह उसकी किराये की शर्तों के अनुसार उपयोग एवं उपभोग कर सकेगा ।

(2) कि किरायेदारी दिनांक .... से आरम्भ होकर दिनांक .... को समाप्त होगी एवं इसमें आगे किरायेदारी की अवधि में वृद्धि करने का मकान मालिक का अधिकार होगा ।

(3) कि उक्त किरायेदार को उक्त मकान का किराया हर माह की पहली तारीख को अदा कर मकान मालिक से रसीद प्राप्त करनी होगी ।

(4) कि उक्त मकान का .... माह का किराया अग्रिम देय होगा, जो किरायेदारी को समाप्ति पर लौटा दिया जायेगा ।

(5) कि किरायेदार उक्त मकान की बिजली एवं पानी (Water and Electricity) के बिल का समय पर भुगतान कर रसीद प्राप्त करेगा ।

(6) कि मकान का नगरपालिका को देय शुल्क मकान मालिक अदा करेगा ।

(7) कि किरायेदार मकान स्वच्छ एवं ठीक हालत में रखेगा । उसे किसी भी प्रकार क्षतिग्रस्त नहीं करेगा । क्षतिग्रस्त होने की हालत में किरायेदार क्षतिपूर्ति अदा करने को बाध्य होगा ।

(8) कि मकानमालिक की बिना स्वीकृति के किरायेदार उसमें किसी भी प्रकार की मरम्मत या निर्माण कार्य नहीं कराएगा एवं मकान मालिक की पूर्च स्वीकृति से किरायेदार .... माह के किराये की रकम तक को उसकी मरम्मत आदि में व्यय कर सकेगा ।

(9) कि किरायेदार मकान को सिर्फ निवास के उपयोग में लाएगा उसमें किसी प्रकार का व्यापार एवं व्यवसाय नहीं कर सकेगा ।

निरंतर......2

(10) कि किरायेदार उसमें किसी भी प्रकार का अनैतिक कार्य का व्यापार नहीं करेगा ।

(11) कि मकानमालिक को किसी भी दिन, दिन के समय शांतिपूर्वक मकान की देख–रेख करने लिए उसमें प्रवेश करने का अधिकार होगा ।

(12) कि किरायेदार मकानमालिक की बिना स्वीकृति के किसी को भी उसे उप–पट्टे पर नहीं देगा ।

(13) कि किरायेदार विलेख में उल्लेखित सारी शर्तों का पालन करने को बाध्य होगा एवं उसमें से किसी का भी उल्लंघन किए जाने पर मकानमालिक को उसे बेदखल करने एवं किरायेदारी समाप्त करने का अधिकार होगा ।

उपर्युक्त के साक्ष्य स्वरूप हम दोनों पक्षकारों ने निम्नलिखित दो साक्षियों के समक्ष उपर्युक्त स्थान एवं दिनांक पर अपने हस्ताक्षर कर दिये है ।

साक्षीगण :–

(1) ....

(2) ....

हस्ताक्षर ....
(मकानमालिक)

हस्ताक्षर ....
(किरायेदार)